संख्या- 18 /2020/ 570 /अडतीस-7-2020-11नरेगा/2020

प्रेषक,

विजय बहादुर वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 09 जून, 2020**

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की स्वीकृति।

महोदय,

प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम-2005 एवं उसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश संख्या-जे-14037/01/2020-आरई-। एसएल नं0-23 दिनांक 07-04-2020 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत प्रथम भाग की प्रथम किश्त के रूप में भारत सरकार द्वारा सामग्री एवं प्रशासनिक मद में अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 18,88,56,30,000/-(रू0 अट्ठारह अरब अट्ठासी करोड छप्पन लाख तीस हजार मात्र) के सापेक्ष उपर्युक्त धनराशि रू0 6,11,0000000(रूपये छः अरब ग्यारह करोड मात्र) को समायोजित करते हुए अवशेष केन्द्रांश रू0 12,77,56,30,000/-(रूपये बारह अरब सतहत्तर करोड़ छप्पन लाख तीस हजार मात्र) के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि रू0 4,25,85,43,333/- (रूपये चार अरब पच्चीस करोड पच्चासी लाख तैंतालिस हजार तीन सौ तैंतीस मात्र) को श्री राज्यपाल महोदया आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु सहर्ष स्वीकृति निम्न प्रतिबंधों/शर्तो के अधीन प्रदान करती है:-

1. **प्रश्नगत प्रकरण का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।**
2. **इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।**
3. **प्रश्नगत धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।**
4. **स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा। आंकडों की शुद्धता व धनराशि की अनुमन्यता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।**
5. **योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि पर बैंक द्वारा अब तक अर्जित ब्याज का व्यय/उपयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।**
6. **स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।**
7. **स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं भारत सरकार के केन्द्रांश स्वीकृत आदेश दिनांक 07-04-2020 की शर्तों के अनुसार किया जायेगा।**

http://Shasanadesh.up.gov.in

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

9- धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10- स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2019-231/2019, दिनांक: 24 मार्च, 2020 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11- वित्तीय नियमों के अनुपालन हेतु अपर आयुक्त(वित्त), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि में से रु0 200.00 करोड़ प्रशासनिक मद में रु0 50.00 करोड़ मनरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत मेट (अर्द्धकुशल श्रमिक) को मजदूरी भुगतान मद में एवं शेष धनराशि वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 में मनरेगा योजना के अन्तर्गत मैटीरियल मद में अवशेष भुगतान मद में रखा जाय एवं इसमें सर्वप्रथम अर्द्धकुशल व कुशल श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान कराये जाने के पश्चात ही मैटीरियल मद में सत्यापन कराये जाने के पश्चात ही बकाया धनराशि का भुगतान किया जाय। इस प्रशासनिक मद को केन्द्रांश की अगली किश्त में समायोजित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक लेखानुदान की अनुदान संख्या-13 के लेखा शीर्षक "4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-102-सामुदायिक विकास-02-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना-0201-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना(के-75/रा.25-के+रा)-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-ई-2-यूओ-486 /दस-2020, दिनांक 05 जून, 2020 में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- 18 /2020/ 570 (1)/अड्तीस-7-2020 तददिनांक:-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. **निदेशक, एमजीनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली ।**
2. **महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।**
3. **महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।**
4. **अपर आयुक्त (मनरेगा/वित्त), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।**
5. **मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।**
6. **समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।**
7. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
8. **समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
9. **निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय, उ0प्र0, लखनऊ।**
10. **वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2**
11. **राज्य योजना आयोग-1/2**
12. **ग्राम्य विकास अनुभाग-3**
13. **गार्ड बुक।**

आज्ञा से

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://cbtsanadesh.up.gov.in